Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **उदयपुर में उपकारापाल एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *26 दिसम्बर,* सोमवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये धरमवीर उपकारापाल उपकारागृह कोटड़ा, जिला उदयपुर एवं उसके दलाल करणसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 3 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई को कारागृह में परेशान नहीं करने एवं खाने की सुविधा देने की एवज में धरमवीर उपकारापाल उपकारागृह कोटड़ा, जिला उदयपुर द्वारा उसके दलाल करणसिंह (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 5 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह (चार्ज उदयपुर)** के सुपरवीजन में एसीबी की स्पेशल यूनिट उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रतन सिंह राजपुरोहित** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये धरमवीर पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी हेलक तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल उपकारापाल उपकारागृह कोटड़ा, जिला उदयपुर एवं उसके दलाल करणसिंह पुत्र श्री एकनाथसिंह निवासी माण्डवा रोड़, कोटड़ा, जिला उदयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।